प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 17 जुलाई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बौबी पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी जनपद-एटा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-19923/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-07.06.2023), दिनांक-16.06.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बौबी पुत्र श्री हरी सिंह, जो जमों, थाना-जलेसर, जनपद-एटा का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 08.03.2008 को वादिनी उर्मिला देवी की 07 वर्षीय पुत्री करिश्मा को घर बुलाकर ले जाकर उसके साथ बलात्कार कर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-472/2008, भा0द0वि0 की धारा-376, 302, 201 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-03, एटा के आदेश दिनांक 01.09.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2) मु0नं0-588/2022, भा0द0वि0 की धारा-354, 506 के अन्तर्गत मा0 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनेसर, एटा के आदेश दिनांक 16.11.2022 द्वारा 04 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.02.2018 द्वारा आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.04.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष, 02 माह 21 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 06 माह 00 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला मजिस्ट्रेट, एटा की अध्यक्षता में सम्पन्न जनपद स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 21.02.2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा बन्दी की आयु 37 वर्ष होने, कारित अपराध जघन्य होने व सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद अन्तिम रूप से समाप्त नहीं होने तथा बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा बन्दी का अभिभावक जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 08.03.2008 को वादिनी उर्मिला देवी की 07 वर्षीय पुत्री करिश्मा को घर बुलाकर ले जाकर उसके साथ बलात्कार कर गला दबाकर उसकी हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

सिद्धदोष बन्दी बौबी पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी जनपद-एटा को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बौबी (बन्दी संख्या-16533) पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी जनपद-एटा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-816/2025/2729(1)/22-2-2023 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, एटा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-816/2025/2729/22-2-2023-17(313)/2024

दिनांक 17 जुलाई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बौबी पुत्र श्री हरी सिंह, जो जमों, थाना-जलेसर, जनपद-एटा का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 08.03.2008 को वादिनी उर्मिला देवी की 07 वर्षीय पुत्री करिश्मा को घर बुलाकर ले जाकर उसके साथ बलात्कार कर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-472/2008, भा0द0वि0 की धारा-376, 302, 201 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-03, एटा के आदेश दिनांक 01.09.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2) मु0नं0-588/2022, भा0द0वि0 की धारा-354, 506 के अन्तर्गत मा0 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनेसर, एटा के आदेश दिनांक 16.11.2022 द्वारा 04 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.02.2018 द्वारा आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.04.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष, 02 माह 21 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 06 माह 00 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट, एटा की अध्यक्षता में सम्पन्न जनपद स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 21.02.2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा बन्दी की आयु 37 वर्ष होने, कारित अपराध जघन्य होने व सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद अन्तिम रूप से समाप्त नहीं होने तथा बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा बन्दी का अभिभावक जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 08.03.2008 को वादिनी उर्मिला देवी की 07 वर्षीय पुत्री करिश्मा को घर बुलाकर ले जाकर उसके साथ बलात्कार कर गला दबाकर उसकी हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बौबी पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी जनपद-एटा को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in